

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
54/अपील/2019	02.07.2019	30.10.2019

सत्यनारायण आ. रामकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम लोधो का झोपड़ा
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) — अपीलांत
— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2019

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 रा0 उपनिवेशन अधिनियम 1954

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से — श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 2372 रकबा 05 बीघा, किस्म सिवायचक वाके ग्राम लोधो का झोपड़ा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 625/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बिना जाँच किये ही अपीलान्ट का मौके पर कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की बिना जाँच किये ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का किसी भी भू-भाग पर कब्जा नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट का पूर्व में कब्जा था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल सजा का निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है फिर भी अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ने बाबत् शपथ पत्र पेश किया है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय

उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप
अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

Page 3 A.E.
से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)